**प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 24.07.2025**

**थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 22.07.2025 को हुई किशोर की हत्या का खुलासा करते हुए घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तगण को मैनुअल इनपुट के आधार पर 10 घण्टे के अन्दर किया गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक चाकू व एक छुरी नाजायज बरामद।**

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पर दिनांक 23.07.2025 को वादी मो0 शाबिर पुत्र मो0 जहूर निवासी डी-ब्लॉक, गली न. 07 श्रीराम कॉलोनी, कच्ची खजूरी दिल्ली ने थाना ट्रोनिका सिटी पर सूचना अंकित करायी कि दिनांक 22.07.2025 को उसके भान्जे रिहान पुत्र मौ0 सगीर उम्र करीब 17 वर्ष के साथ उसके दोस्त 1.वसीम पुत्र चमन खान निवासी बी-ब्लाक गली न0- 13 श्रीराम कॉलोनी कच्ची खजूरी दिल्ली 2. साहिल उर्फ टुल्ली पुत्र चाँद मोहम्मद निवासी बी-ब्लाक गली नं0-13 कच्ची खजूरी दिल्ली 3. रिहान उर्फ पंडत पुत्र इसरार निवासी श्रीराम कॉलोनी कच्ची खजूरी दिल्ली हाल पता इलायचीपुर कासिम विहार फेस-ii थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद द्वारा मारपीट करते हुये रिहान की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर देना। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल धारा 103(1) / 3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा किशोर की हत्या की घटना की खुलासा करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1.वसीम पुत्र चमन खान निवासी बी-ब्लाक गली न0- 13 श्रीराम कॉलोनी कच्ची खजूरी दिल्ली 2. साहिल उर्फ टुल्ली पुत्र चाँद मोहम्मद निवासी बी-ब्लाक गली नं0-13 कच्ची खजूरी दिल्ली 3. रिहान उर्फ पंडत पुत्र इसरार निवासी श्रीराम कॉलोनी कच्ची खजूरी दिल्ली हाल पता इलायचीपुर कासिम विहार फेस-ii थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को **10 घण्टे के अन्दर** कासिम विहार फेस-2 से मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशांदेही से आलाकत्ल एक चाकू नाजायज व घटनास्थल से आलाकत्ल एक छुरी बरामद की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्तगण उपरोक्त से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अपने जुर्म स्वीकार करते हुये बताया कि वसीम व साहिल उर्फ टुल्ली व रिहान उर्फ पंडत आपस में दोस्त हैं तथा खजूरी दिल्ली के रहने वाले हैं। खाने पीने व नशा का शौक करते हैं। मृतक रिहान से भी वसीम की काफी समय से दोस्ती थी तथा वसीम व साहिल उर्फ टुल्ली के पडोस में खजूरी दिल्ली में रहते थे। मृतक रिहान इंस्टाग्राम चलाता था और हम लोग भी इंस्टाग्राम चलाते हैं। मृतक रिहान इंस्टाग्राम पर नयी-नयी स्टोरी व पोस्ट डालता रहता था और हमारे ऊपर गलत गलत कमेन्ट करता रहता था जिस लडकी के फोटो या वीडियो को वसीम लाइक या कमेन्ट करता था उसी पर मृतक रिहान भी लाइक व कमेन्ट करता था इसी बात को लेकर वसीम व मृतक रिहान में कुछ दिनो पहले खजूरी में झगडा हुआ था। मृतक रिहान ने हमारे साथी वसीम के साथ मारपीट , गाली गलौच करते हुये काफी बेईज्जती की थी और अन्जाम भुगतने की धमकी दी थी। वसीम के साथ हुई घटना के बाद हम तीनों दोस्तो ने मिलकर मृतक रिहान को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। इसी योजना के अनुसार हम तीनो दोस्तो ने मिलकर प्लान बनाया और प्लान के अनुसार दिनांक 22.07.2025 को साहिल उर्फ टुल्ली व वसीम दोनो लोग मृतक रिहान को घूमने के बहाने उसके घर से बुलाकर इलायचीपुर ट्रोनिका सिटी लेकर

आये थे। रिहान उर्फ पंडत वही पर पहले से मौजूद था। उसके बाद हम चारों ने ठेले पर छोले भटूरे खाये थे और योजना के अनुसार मृतक रिहान को बातों में लगाकर ईलायचीपुर में खाली खेतों की तरफ लेकर चले गये थे और योजना के अनुसार साहिल उर्फ टुल्ली ने रिहान की कोली भर ली और वसीम तथा रिहान ने अपने-अपने साथ लाये चाकू व छुरी से रिहान के उपर कई बार लगातार वार कर दिये जिससे रिहान बेहोश होकर वही जमीन पर गिर गया उसके बाद साहिल उर्फ टुल्ली ने रिहान से छूरी लेकर मृतक रिहान के शरीर पर कई वार किये थे जब हम तीनों को लगा कि रिहान मर गया है तो हम लोग चारो तरफ को देखने लगे कि कोई हमें देख तो नही रहा है उसी समय सामने की तरफ एक गाडी हमारी तरफ आती हुई दिखाई दी पकडे जाने के डर से हडबडाहट में साहिल उर्फ टुल्ली के हाथ से छूरी मृतक रिहान के पास गिर गयी थी जिसे हम लोग जल्दबाजी व हडबडाहट में उठा नही पाये थे और हम तीनो पकडे जाने के डर से वहां से भाग गये थे। वसीम के पास चाकू जिस पर खून लगा था उसको कुछ आगे चलकर हमने कीकर के पेड के नीचे झाडियों में छिपाकर रख दिया था जिसको हमने आपको बरामद कर दिया है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –**

1.वसीम पुत्र चमन खान निवासी बी-ब्लाक गली न0- 13 श्रीराम कॉलोनी कच्ची खजूरी दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष
2. साहिल उर्फ टुल्ली पुत्र चाँद मोहम्मद निवासी बी-ब्लाक गली नं0-13 कच्ची खजूरी दिल्ली उम्र करीब 18 वर्ष
3. रिहान उर्फ पंडत पुत्र इसरार निवासी श्रीराम कॉलोनी कच्ची खजूरी दिल्ली हाल पता इलायचीपुर कासिम विहार फेस-ii थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष

**बरामदगी का विवरण-**

कब्जे/निशांदेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद चाकू व एक अदद छुरी नाजायज बरामद।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

**थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चोरी/छिनैती की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटरसाइकिल, छीने गये मोबाइल फोन की बिक्री के 1570/- रुपये बरामद।**

दिनांक 25.05.2025 को वादी द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि राहुल विहार अन्डरपास से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा वादिया का मोबाइल फोन छीन ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 304(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 24.07.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम द्वारा मैनुअल इन्पुट के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना कारित करने वाले अभियुक्त सागर कुमार पुत्र भुपेन्द्र निवासी ग्राम तिगडी सोम बाजार सिटी साइन स्कूल के पास थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 26 वर्ष को राहुल विहार के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से उपरोक्त घटना से सम्बन्धित छीने गये मोबाइल फोन की बिक्री के 1570/- रुपये व दिल्ली से चोरी की गई फर्जी नम्बर प्लेट लगी 01

मोटरसाइकिल बरामद हुई। छीने गये मोबाइल फोन की बिक्री के 1570/- रुपये की बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई तथा उक्त चोरी की मोटरसाकिल बरामदगी के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 317(2)/345(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण–**

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मुझसे जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है यह मैंने करीब 04 महीने पहले महरौली दिल्ली से चोरी की थी व पुलिस से बचने के लिए मैंने इसकी नम्बर प्लेट बदल दी थी तथा इसी मोटरसाइकिल से करीब 02 महीने पहले मैंने राहुल विहार अन्डर पास से एक महिला से उसका मोबाइल फोन छीना था तथा उस मोबाइल फोन को मैंने किसी चलते-फिरते व्यक्ति को अपनी मजबूरी बताकर 05 हजार रुपये में बेच दिया था जिसमें से मेरे पास 1570/- रुपये बचे थे बाकी रूपये अपने शौक में खर्च कर दिये थे।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–**

सागर कुमार पुत्र भुपेन्द्र निवासी ग्राम तिगडी सोम बाजार सिटी साईन स्कूल के पास थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 26 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण-**

कब्जे से घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटरसाइकिल, छीने गये मोबाइल फोन की बिक्री के 1570/- रुपये बरामद।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग**

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर लूट/छिनैती व चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में 03 अभियोग, थाना विजयनगर में लूट का 01 अभियोग, थाना महरौली दिल्ली में उक्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में 01 अभियोग, थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।**(कुल अभियोग-06)**। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

## थाना लोनी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध तमंचा 32 बोर बरामद।

आज दिनांक 24.07.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त नावेद पुत्र गय्यूर निवासी-20 फुटा रोड प्रेम नगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से गिरफ्तार गिया गया जिसके कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा 32 बोर बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण–**

अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं लोगों में अपना रौब दिखाने के लिए यह अवैध तमंचा अपने पास रखा हुआ था, आज मैं इसे लेकर जा रहा था कि आपने मुझे पकड लिया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–**

नावेद पुत्र गय्यूर निवासी-20 फुटा रोड प्रेम नगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

**बरमदगी का विवरण**

कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा 32 बोर बरामद।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग**

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-**

थाना लोनी पुलिस टीम।

## थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.04.2025 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को बहला – फुसलाकर कहीं ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा- 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा पीड़िता को बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीड़िता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त विनोद उर्फ मनोज पुत्र रंधीर निवासी गांव विराल थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता-गली नंम्बर-02 नीयर लाल मन्दिर परमहंस विहार थाना लोनी बॉर्डर उम्र करीब 23 वर्ष का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 24.07.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग वांछित अभियुक्त विनोद उर्फ मनोज पुत्र रंधीर निवासी गांव विराल थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता-गली नंम्बर-02 नीयर लाल मन्दिर परमहंस विहार थाना लोनी बॉर्डर उम्र करीब 23 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों की पहले से बातचीत थी और एक दिन मैं वादी की पुत्री को बाहर घुमाने ले गया था और मौका पाकर मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये थे।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

विनोद उर्फ मनोज पुत्र रंधीर निवासी गांव विराल थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता-गली नंम्बर-02 नीयर लाल मन्दिर परमहंस विहार थाना लोनी बॉर्डर उम्र करीब 23 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**कार्यवाही करने वाली टीम –**

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

**थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।**

दिनांक 23/24.07.2025 की रात्रि को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त नाजिम पुत्र शाकिर निवासी लक्ष्मण गार्डन पसौण्डा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को डिफेन्स कट टीलामोड़ से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त नाजिम पुत्र शाकिर उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरणः-**

गिरफ्तार अभियुक्त नाजिम पुत्र शाकिर उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि बरामद मोटर साइकिल को अभियुक्त उपरोक्त ने लगभग 01 वर्ष पहले थाना दयालपुर दिल्ली से चोरी किया था। अभियुक्त उपरोक्त आज इस मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में था। जिसे पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

नाजिम पुत्र शाकिर निवासी लक्ष्मण गार्डन पसौण्डा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

**बरामदगी का विवरणः-**

चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-**

गिरफ्तार अभियुक्त नाजिम पुत्र शाकिर उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़, थाना शालीमार गार्डन व थाना साहिबाबाद पर चोरी, चोरी का माल बरामद होने आदि से 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।